


4.12.15

सहायक निदेशक एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (गैरट्रेडिंग) जवाबदार
तहसील नरसिंहपुर जिला मन्सूरगढ़ तहसील
प्रशासनिक प्रशासनिक कार्यालय नरसिंहपुर जिला

पञ्जाब प्रेश डेप्युटी कमीशन पञ्जाब राज्य प्रशासन
आर.न. निदेश 4 पर का रवीकांड किया जा रहा
है तथा प्रत्येक सिगनाली उधर के आगे लाक
क्याही से प्रत्येक वन किया जाये। परिवर्ती अप्रार्मी
न.4 की शक्ति को गवासे यह गाह से उपर
अपनी पूर ले चुका है इससे उपरान्त की अप्रार्मी
न.4 उपरान्त नहीं आया तथा अप्रार्मी न.4 के विषय
एक पक्षीय आर्मीवादी आर.न. के कारि कारि को शक्ति
पानी एवं अप्रार्मी गन ने अपर किया कि न्यायालय
द्वारा जारी आर्मी अप्रार्मी निषेधात्मक को हा
द्वारे वाड कानून किया जा रहा है तो मोर
एक अप्रार्मी नही है आर्मीवादी पानी। एवं अप्रार्मी
के विवेक पर न्यायालय द्वारा जारी आर्मी
अपारि निषेधात्मक दिनांक 15.11.16 को हा द्वारे
कांड Confirmed (कानून) में जारी है पञ्जाब
प्रत्येक पुनः लिकर प्रत्येक वाड के सलका ही


सहायक निदेशक एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (गैरट्रेडिंग) चिड़वा